


सुमेर सिंह vs रोमेश्वर  
150 नं 85/22

~~Singh vs~~  
2.11.22

I.d.by  
S. K. Kulkarni

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेशा  
काल पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना  
पत्र में अंकित चिका है कि उभय पक्ष  
के मध्य आपसी राजीनामा हो गया  
है। प्रकरण में आज कोई कार्यवाही  
नहीं चाहते है। वादो को उपस्थित  
को तस्दीक श्री ओठ पीठ कुठारा एडवोकेट  
द्वारा की गई।

आतः वादो के प्रार्थना पत्रके आधार  
पर वादो के वाद को विज्ञे क्रिये जोत को  
स्वीकृति प्रदान की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमा होका नम्बर स कम हो।  
क्षोदक शुमा जमा

  
उपसण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा